

1

2

(2)

3

20.04.2024

अनार तथा शंखम हे जाफ़
परिवहन का आवलोकन किया
स्पष्ट होता है कि भाजा बड़ी
संग्राम, अनार नं- 44, टल्का नं- 15,
खार - 37, लॉट - 2648, खार - 28 डी
~~जमीन~~ — 28 डी जमीन दोनों
पक्षों के द्वारा किया जा रहा है तथा
दोनों में सम्पूर्ण लॉट 2648 की
घोड़ड़ी दी गई है।

— घोड़ड़ी का स्पष्ट नहीं होता
दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुद्दा
कागज़ है।

इस स्थिति में वास्तविक
कुलार नियोजित करना आवश्यक है।

भा: कुलार नियोजित है।

इस वद को चारा 145 में
परिवर्तित किया जा रहा है।

दिनांक 27.04.2024 को रखा।

20.04.2024

G.P.C.
145 में
परिवर्तित

1

2

3

27/4/24

अभिलेख उपस्थापित।
प्रथम पक्ष उपर। द्वितीय पक्ष बकायतन दलित।
प्रथम पक्ष की ओर से विमान ठाकुर
दीपल कुमार और तब द्वितीय पक्ष
से बाल कुमार मंडल आचारण
में उपस्थित हुए। C.P.C. 145 के
तहत पक्षों को दलील देने के लिए
समय की मंजूर की गई।

दिनांक 03.05.2024 को रहे।


27.04.2024

3/5/24

प्रथम पक्ष बकायतन दलित। द्वितीय पक्ष उपर।
अभिलेख दिनांक 3/5/24 को रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

4/5/24

प्रथम पक्ष बकायतन दलित। द्वितीय पक्ष उपर।
दिनांक 11.05.2024 को रहे।


04.05.2024

11/5/24

प्रथम पक्ष बकायतन दलित। द्वितीय पक्ष उपर।
दोनों पक्षों के द्वारा समय की मंजूर
की गई। समय दिनांक 16.05.2024 को रहे।



Page 5 of 5